UPJB010036042026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा
पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–946/2026

विकास कुमार आयु करीब 25 वर्ष पुत्र श्री विजयपाल, निवासी ग्राम खाद गुर्जर, थाना गजरौला, जिला अमरोहा। .....आवेदक/ अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–266/2026
धारा –69, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना –गजरौला, जिला अमरोहा।

जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः 06.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्त **विकास कुमार** की ओर से जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 26.05.2026 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता के द्वारा थाना गजरौला में प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसकी कुछ साल पहले विकास कुमार से मुलाकात हुई थी। फिर साथ–साथ काम करने लगे तथा साथ–साथ यूटयूब पर वीडियो बनाते थे। इसी बीच विकास ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे शादी का झूठा वादा करके उसे अपने घर खादगुर्जर में रखा व उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये, जिससे उसके एक बेटा पैदा हुआ, जो वर्तमान में 02 वर्ष का है। अब उसने दिनांक 15.04.2026 को विकास से शादी की बात की, तो विकास ने उसके साथ मारपीट की व गाली–गलौंज करके बाहर निकाल दिया तथा धमकी दी कि अगर उसके खिलाफ कार्यवाही की, तो उसे जान से मार देगा।

03. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि उपरोक्त अभियोग में उसे गलत व झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता ने मुस्लिम धर्म त्यागकर हिन्दू धर्म अपनाकर उससे दिनांक 01.02.2023 को शादी की है और दोनों पति–पत्नी के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट सी नम्बर–8972/2023 प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 14.12.2023 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया। पीड़िता ने अपने आधार कार्ड में अपना नाम बदलवा लिया है, जिसमें बुशरा पुत्री वसी अहमद के स्थान पर विसी सागर पत्नी विकास कुमार दर्ज है। दिनांक 15.04.2026 को उसकी पत्नी/पीड़िता गुमशुदा हो गयी थी, जिसकी गुमशुदगी थाने की जी.डी. संख्या–49 दिनांक 24.04.2026 में दर्ज है तथा थाना पुलिस द्वारा उसकी पत्नी/पीड़िता को एस.डी.एम. न्यायालय, अमरोहा में बयान दर्ज कराने हेतु पेश किया गया, तो पीड़िता ने आपसी मनमुटाव के कारण बिना बताये अपने रिश्तेदार के घर जाना तथा अपनी दूर की बहन महक परवीन के साथ अपनी मर्जी से जाना कहा है। दिनांक 06.05.2025 को उसके व पीड़िता के मध्य समझौता हो गया, जिसमें पीड़िता ने अपना सामान लिखित में प्राप्त कर एस.एच.ओ. गजरौला के समक्ष बयान दिया है परन्तु पीड़िता ने उससे पूर्व दिनांक 15.04.2026 की घटना दिखाकर गजरौला में दिनांक 26.05.2026 की सायं 4:00 बजे यह झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। वादिनी ने अपने साक्ष्य में पति–पत्नी होने का तथ्य स्वीकार किया है और पति–पत्नी के मध्य हुये विवाद के कारण उसके विरूद्ध धारा 69 भारतीय न्याय संहिता का अपराध नहीं बनता है। वह दिनांक 27.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। वह अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत की याचना की गयी है।

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.06.06 16:23:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये उसके जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि मामले की घटना दिनांक 15.04.2026 व उससे पूर्व की बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब एक माह ग्यारह दिन विलम्ब से दिनांक 26.05.2026 को संबंधित थाने पर आवेदक के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के द्वारा पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाकर व शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने, गाली–गलौंज, मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

पर्चा सं०–3 दिनांकित 29.05.2026 में पीड़िता के कथन अन्तर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार विकास (आवेदक) द्वारा शादी का वायदा करने पर सन 2022 से दोनों एक साथ गजरौला में रहे। दोनों का एक बेटा हुआ, जो ढाई वर्ष का है। दिनांक 15.04.2026 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। विकास ने शादी का झांसा देकर उससे चार साल सम्बन्ध बनाये।

06. केस डायरी पर उपलब्ध पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांकित 29.05.2026 के अनुसार उसके बाहरी व आंतरिक परीक्षण में कोई चोट का कोई निशान नहीं पाया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि वह व पीड़िता आपस में पति–पत्नी हैं तथा उनके शारीरिक सम्बन्धों से एक बेटा विवान्श सागर पैदा हुआ। दोनों ने अपने जीवन की सुरक्षा हेतु माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद में रिट सी नम्बर–8972/2023 प्रस्तुत की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांकित 14.12.2023 में पीड़िता को बालिग होना व उसे आवेदक विकास कुमार के साथ लिव–इन–रिलेसनशिप में रहना कहा गया है। आवेदक द्वारा दिनांक 15.04.2026 को पीड़िता के गुम होने पर उसकी गुमशुदगी थाना अमरोहा देहात पर दिनांक 24.04.2026 को दर्ज करायी थी, जिसके उपरान्त पुलिस द्वारा पीड़िता को दिनांक 29.04.2026 को एस.डी.एम. न्यायालय, अमरोहा में प्रस्तुत किया गया, जहाँ हुये बयान में पीड़िता ने आपसी मनमुटाव के कारण बिना बताये रिश्तेदार के घर चला जाना कहा है। उक्त तर्क के समर्थन में पीड़िता की गुमशुदगी जी.डी. की छायाप्रति, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 14.12.2023 की छायाप्रति, विवाह अनुबन्धपत्र व उप–जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा के आदेश दिनांकित 29.04.2026 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई विपरीत तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक लगभग **दस दिन** से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विकास** के जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाते हैं।

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुबलिग 70,000/–(सत्तर हजार) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी–इतनी ही धनराशि के **एक प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– आवेदक/अभियुक्त, विवेचना/ विचारण में सहयोग करेगा।
2– आवेदक/अभियुक्त, गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।
3– आवेदक/अभियुक्त, मामले का विचारण प्रारम्भ होने पर न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत / जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।
4– आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
5– विचारण के समय मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक /अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–06.06.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक